

प्ररूप-21ग

(नियम 64)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा:


55-चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूँ कि श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी पुत्र जीवानन्द गहतोड़ी, निवासी मल्ली मादली, चम्पावत, पोस्ट व जिला चम्पावत, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त) द्वारा खड़े किये गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान-नगर पालिका हॉल, प्रथम तल, चम्पावत।

दिनांक:-10.03.2022

  
रिटर्निंग आफिसर,  
55-चम्पावत।  
55-चम्पावत विधान सभा

**FORM 21C**  
**(SEE RULE 64)**  
**(FOR USE IN GENERAL ELECTION WHEN SEAT IS**  
**CONTESTED)**

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.


Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand from 55-Champawat Assembly Constituency.

In Pursuance of the Provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Ruled, 1951. I declare that-

Kailash Chandra Gahtori S/O Jeewanand Gahtori, Malli Madli, Champawat, Post and District Champawat Sponsored by Bharatiya Janata Party (Recognised Party) has been Duly Elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place-Nagarpalika Hall First Floor, Champawat.

Date-10-03-2022

  
**Returning Officer,**  
रिटर्निंग ऑफिसर  
**55-Champawat,**  
55-चम्पावत विधान सभा